09/2016 - 3

A13/7

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉं, आर0ए0एस0

Web Copy - Not Official

सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र सं0 09/16

गुरबचनसिंह पुत्र कर्मा राम जाति बावरी निवासी 3 के एस डी (सुखचैनपुरा) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

वीरसिंह पुत्र भागुराम उर्फ भागसिंह जाति बावरी साकिन 3 केएसडी (सुखचैनपुरा) तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 16–3–17

प्रस्तुत सीलिंग शिकायत प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगागनर के न्यायालय से दिनांक 26–12–16 को क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी–शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी वीरसिंह नेअपनेपिता भागूराम जाति बावरी की भूमि चक अराईयांवाली बारानी तहसील रायसिंहनगर के प0 नं0 237/223 मु0 नं0 57 कि0 नं0 1 ता 25 कुल 6.325 है0 भूमि एवं चक 3 के एस डी तहसील श्री विजयनगर के प0 नं0 244/364 मु0 नं0 2 के कि0 नं0 1 ता 25 कमाण्ड भूमि एवं मु0 नं0 11 प0 नं0 244/365 के कि0 नं0 1 ता 25 इस प्रकार दोनों रकबों की कुल 12.524 है0 भूमि तथा कुल तीन मुरब्बों की व दोनों चकों की कुल 18.849 है0 भूमि धारण कर रखी है, जो सीलिंग सीमा से ज्यादा है तथा चक सुखचैनपुरा 3 के एस डी मु0 नं0 2 व 11 की 12.524 है0 भूमि और अलॉट करवा रखी है। अतः सीलिंग सीमा से भूमि ज्यादा होने के कारण अधिग्रहण किये जाने योग्य है।

शिकायत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मिथ्या, मनघडन्त एवं तथ्यों से परे हैं। प्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में तहसील श्री विजयनगर में 12.534 है0 नहरी रकबा है तथा तहसील रायसिंहनगर में 6.324 है0 बारानी रकबा है। इसके अलावा प्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में अन्य कोई रकबा नहीं है। प्रार्थी के परिवार में स्वंय के अलावा, सन्तराम, मगंलसिंह, नानकराम एवं

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

09/2016 -

A13/2

मघरसिंह पॉच यूनिटस हैं। पॉच यूनिटस के लिए प्रार्थी 216.00 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी है जबकि प्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में कुल 74–10 बीघा भूमि है, जिसमें से 49–10 बीघा बारानी भूमि है। इस प्रकार प्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से कम है। अतः शिकायत दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

भूमि एवं परिवार के संबंध में तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि अप्रार्थी के धारण में शिकायत प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि सीलिंग सीमा से ज्यादा है, जिसे अधिग्रहण किया जाना चाहिये।

अप्रार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पास भूमि सीलिंग सीमा से कम है। परिवार में कुल दस सदस्य हैं तथा चार बालिग पुत्र हैं। भूमि सीलिंग सीमा से कम है इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

तहसीलदार, श्री विजयनगर ने रिपोर्ट सं0 35 दिनांक 28–1–14 द्वारा अवगत कराया है कि मुताबिक रेकार्ड जमाबंदी चक 3 के एस डी के प0 नं0 244/364 कि0 नं0 ता 25, 6.325 है0 व प0 नं0 244/365 कि0 नं0 1 ता 25, 6.199 **कुल 12.524 है0 रकबा कमाण्ड** वीरसिंह के नाम खातेदार दर्ज है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक 2430 दिनांक 8–7–14 के अनुसार चक अराईयांवाली बारानी में **मु0 नं0 57 की 6.325 है0 बारानी भूमि** अप्रार्थी वीरसिंह के पिता भागूराम पुत्र रूड़ाराम के नाम खातेदार दर्ज रेकार्ड थी। इंतकाल सं0 245 (दस्तबदारी) दिनांक 20–6–09 को उक्त रकबा अप्रार्थी वीरसिंह के नाम दर्ज हुआ। इंतकाल सं0 328 (दानपत्र) दिनांक 5–12–12 से उक्त रकबा अप्रार्थी वीरसिंह के पुत्रों सन्तराम, नानकराम, मंगलराम एवं मघरसिंह के नाम क्रमशः 1.580 है0,1.581 है0, 1.582 है0 एवं 1.582 है0 बारानी भूमि दर्ज रेकार्ड हुआ।

सरपंच, ग्राम पंचायत, 3 के एस डी (सुखचैनपुरा) द्वारा सदस्य प्रमाण पत्र दिनांक 4–7–14 द्वारा अप्रार्थी वीरसिंह पुत्र भागसिंह जाति बावरी के परिवार में निम्न सदस्य बताए हैं :–

क्र0सं0	नाम	संबंध	आयु
1.	वीरसिंह	स्वंय	80 वर्ष
2.	सन्तोदेवी	पत्नी	78 वर्ष
3.	सन्ताराम	पुत्र	60 वर्ष
4.	मंगलसिंह	पुत्र	55 वर्ष
5.	नानकराम	पुत्र	57 वर्ष
6.	महेन्द्रकौर	पुत्री	53 वर्ष
7.	मघरसिंह	पुत्र	50 वर्ष
8.	भागवन्ती	पुत्री	45 वर्ष
9.	नसीबकौर	पुत्री	40 वर्ष
10	राजकौर	पुत्री	38 वर्ष

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

2016

A13
3

इस प्रकार, अप्रार्थी के परिवार में अप्रार्थी वीरसिंह के अलावा उसके चार बालिग पुत्र सन्ताराम, मंगलसिंह, नानकराम एवं मघरसिंह कुल पॉच यूनिटस बनते हैं।

तहसीलदार, श्री विजयनगर की रिपोर्ट के अनुसार रेकार्ड जमाबंदी चक 3 के एस डी के प0 नं0 244/364 कि0 नं0 ता 25, 6.325 है0 व प0 नं0 244/365 कि0 नं0 1 ता 25, 6.199 कुल 12.524 है0 रकबा कमाण्ड वीरसिंह के नाम खातेदार दर्ज है। इस प्रकार तहसील श्री विजयनगर में अप्रार्थी के धारण में कुल 12.524 है0 कमाण्ड रकबा है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट के अनुसार चक अराईयांवाली बारानी में मु0 नं0 57 की 6.325 है0 बारानी भूमि अप्रार्थी वीरसिंह के पिता भागूराम पुत्र रूड़ाराम के नाम खातेदार दर्ज रेकार्ड थी। इंतकाल सं0 245 (दस्तबदारी) दिनांक 20–6–09 को उक्त रकबा अप्रार्थी वीरसिंह के नाम दर्ज हुआ। इंतकाल सं0 328 (दानपत्र) दिनांक 5–12–12 से उक्त रकबा अप्रार्थी वीरसिंह के पुत्रों सन्तराम, नानकराम, मंगलराम एवं मघरसिंह के नाम क्रमशः 1.580 है0,1.581 है0, 1.582 है0 एवं 1.582 है0 बारानी भूमि दर्ज रेकार्ड हुआ।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र में जो भूमि अंकित की गई है, तहसील रिपोर्टस के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में होना बताई गई है।

तहसील रिपोर्ट के अनुसार **श्री विजयनगर की भूमि कमाण्ड है** जबकि चक अराईयांवाली **तहसील रायसिंहनगर की भूमि बारानी है।**

राजस्थान राजपत्र 1 दिसम्बर, 1963 भाग 4(ग) पेज 924 के अनुसार चक अराईयांवाली 28 एफएफ तहसील रायसिंहनगर की भूमि क्रम सं0 49 के अनुसार द्वितीय ग्रुप की है, जिसकी सीलिंग सीमा 35 एकड़ है। इसी प्रकार चक 3 के एस डी सुखचैनपुरा तहसील श्री विजयनगर की भूमि पेज सं0 905 क्रम सं0 8 के अनुसार चतुर्थ ग्रुप की है, जिसकी सीलिंग सीमा 43 एकड़ है।

अप्रार्थी वीरसिंह के परिवार में दिनांक 1–4–66 को एवं दिनांक 1–1–73 को निम्नानुसार परिवार की स्थिति रहती है :–

क्र. सं.	नाम	संबंध	वर्तमान आयु दिनांक 04.07.14 की रिपोर्ट के आधार पर	आयु दिनांक 01.04.1966 को (वर्तमान आयु में 48 वर्ष कम करने पर)	आयु दिनांक 01.01.1973 को (वर्तमान आयु में 41 वर्ष कम करने पर)
1	वीरसिंह	स्वंय	80 वर्ष	32 वर्ष	39 वर्ष
2	सन्तोदेवी	पत्नी	78 वर्ष	30 वर्ष	37 वर्ष
3	सन्ताराम	पुत्र	60 वर्ष	12 वर्ष	19 वर्ष
4	मंगलसिंह	पुत्र	55 वर्ष	7 वर्ष	14 वर्ष
5	नानकराम	पुत्र	57 वर्ष	9 वर्ष	16 वर्ष
6	महेन्द्रकौर	पुत्री	53 वर्ष	5 वर्ष	12 वर्ष
7	मघरसिंह	पुत्र	50 वर्ष	2 वर्ष	9 वर्ष
8	भागवन्ती	पुत्री	45 वर्ष	–	4 वर्ष
9	नसीबकौर	पुत्री	40 वर्ष	–	–
10	राजकौर	पुत्री	38 वर्ष	–	–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त सारिणी के अनुसार दिनांक 1–4–66 को अप्रार्थी के परिवार में सात सदस्य थे जबकि दिनांक 1–1–73 को 8 सदस्य थे और वर्तमान में अप्रार्थी के परिवार में कुल 10 सदस्य रिपोर्ट के अनुसार हैं।

पुराने सीलिंग कानून की स्थिति :

जहॉ तक पुराने सीलिंग कानून की धारा 1–4–66 की स्थिति का प्रश्न है, अप्रार्थी के धारण में चक 3 के एस डी (सुखचैनपुरा)तहसील श्री विजयनगर की कुल 12.524 है0 कमाण्ड रकबा है, जो चतुर्थ ग्रुप की होने के कारण जिसकी सीलिंग सीमा 43 एकड़ है तथा तहसील रायसिंहनगर के चक अराईयांवाली बारानी की 6.325 है0 बारानी भूमि है, जो सैकेण्ड ग्रुप की होने के कारण सीलिंग सीमा 35 एकड़ है।

अप्रार्थी के धारण में चतुर्थ ग्रुप की 12.524 है यानि 49 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं द्वितीय ग्रुप की 6.325 है0 यानि 25–00 बीघा भूमि है। बारानी भूमि 25–00 बीघा को नहरी भूमि में परिवर्तित करने पर 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि बनती है। इस प्रकार कुल 62 बीघा भूमि दोनों चकों की अप्रार्थी के धारण में है। अप्रार्थी के परिवार में 1–4–66 को 7 सदस्य थे। ऐसी स्थिति में 7 सदस्यों का परिवार प्रथम ग्रुप की 61 बीघा 18 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी के धारण में चतुर्थ ग्रुप की 49 बीघा 10 बिस्वा, सीलिंग सीमा 64.10 बीघा को प्रथम ग्रुप की सीलिंग सीमा 46 बीघा 8 बिस्वा में निम्नानुसार परिवर्तित करने पर : –

$$46.8 / 64.10 \times 49.10 = 35.17$$

अप्रार्थी के धारण में द्वितीय ग्रुप की 12.10 बीघा नहरी (परिवर्तित भूमि) जिसकी सीलिंग सीमा 56.00 बीघा को प्रथम ग्रुप की सीलिंग सीमा 46 बीघा 8 विस्वा में निम्नानुसार परिवर्तित करने पर :–

$$46.8 / 56.00 \times 12.10 = 10.11$$

इस प्रकार चतुर्थ ग्रुप एवं द्वितीय ग्रुप की भूमि को प्रथम ग्रुप की भूमि में परिवर्तित करने पर 35.17 + 10.11 = 46.08 बीघा कुल भूमि बनती है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी दिनांक 01.04.1966 को 7 सदस्यों के परिवार के लिए प्रथम ग्रुप की 61 बीघा 18 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी था, जबकि उसके धारण में प्रथम ग्रुप की 46 बीघा 08 बिस्वा भूमि थी जो सीलिंग सीमा से कम थी। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना भी न्यायोचित प्रतीत होता है कि रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 1–4–66 को उसकी पुत्री महेन्द्रकौर 5 वर्ष की थी। पुराने सीलिंग कानून की धारा 30 बी के अनुसार परिवार की परिभाषा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:–

30[b] Defination [a] Family - Shall mean a family consisting of a husband and wife, their children and grand children being dependent on them and the widowed mother of the husbend so dependent, and

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

09
2016

AB
5

इस प्रकार, अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 1–4–66 को उसके चार पुत्र एवं एक पुत्री नाबालिग थे, जो अप्रार्थी पर आश्रित थे। इस प्रकार, अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 1–4–66 को कुल सात सदस्य थे। सात सदस्यों के परिवार के लिए अप्रार्थी प्रथम ग्रुप की 61 बीघा 18 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है, जबकि उसके धारण में दिनांक 1–4–66 को प्रथम ग्रुप की (परिवर्तित करने पर) 46 बीघा 8 बिस्वा ही भूमि बनती है, जो सीलिंग सीमा से कम है।

नये सीलिंग कानून की स्थिति :

जहाँ तक नये सीलिंग कानून की धारा 1–1–73 की स्थिति का प्रश्न है, अप्रार्थी के धारण में चक 3 के एस डी (सुखचैनपुरा)तहसील श्री विजयनगर की कुल 12.524 है0 कमाण्ड रकबा है तथा तहसील रायसिंहनगर के चक अराईयांवाली बारानी की 6.325 है0 बारानी भूमि है। इस प्रकार कुल 74 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में दिनांक 01.01.1973 को थी। अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 01.01.1973 को अप्रार्थी स्वयं के अतिरिक्त उसका एक पुत्र सन्ताराम जो बालिग था, के लिए कुल 2 यूनिट की सीमा तक 100 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली 43.4 X 2 = 86 बीघा 9 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है जबकि उसके पास 01.01.1973 को 74 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी, जो सीलिंग सीमा से कम है।

वर्तमान स्थिति :

जहां तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है अप्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में कुल 74 बीघा 10 बिस्वा भूमि है तथा परिवार में अप्रार्थी स्वयं के अतिरिक्त उसके चार बालिग पुत्र है। इस प्रकार कुल 5 यूनिट की सीमा तक अप्रार्थी अपने लिए व अपने बालिग पुत्रों के लिए 100 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली 43.4 X 5 = 216 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी है जबकि वर्तमान में उसके पास केवल मात्र 74 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जो सीलिंग सीमा से कम है।

इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अप्रार्थी एवं उसके परिवार के धारण में दिनांक 01.04.1966, 01.01.1973 एवं वर्तमान में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। अतः सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रमाणित न होने के कारण सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16–03–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/3/17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner